



सीएसआईआर-चौथा पैराडाइम संस्थान
बेंगलूर - 560 037



सं.4पीआई/02/(166)/2024

07.08.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सीएसआईआर-चौथा पैराडाइम संस्थान, बेंगलूर में प्रबंध परिषद का गठन।

सीएसआईआर के पत्र सं.8(39) सीएसआईआर-4पीआई-पीडी(सीटीई), दिनांक 30.07.2024 के अनुसरण में तथा सीएसआईआर नियमों एवं विनियमों और उप-नियमों के नियम 65 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने सीएसआईआर-चौथा पैराडाइम संस्थान, बेंगलूर में निम्नलिखित सदस्यों के साथ प्रबंध परिषद का गठन किया है:


क्र.सं.	नामित अधिकारी	पदनाम
1.	प्रधान/निदेशक, सीएसआईआर-4पीआई	अध्यक्ष
2.	डॉ. के. जे. श्रीराम, निदेशक, सीएसआईआर-सीएलआरआई	सदस्य
3.	डॉ. जी. के. पात्रा, मुख्य वैज्ञानिक	सदस्य
4.	डॉ. आई. ए. परवेज, मुख्य वैज्ञानिक	सदस्य
5.	डॉ. आशीष, प्रधान वैज्ञानिक	सदस्य
6.	डॉ. लक्ष्मीकांथन पी., वरिष्ठ वैज्ञानिक	सदस्य
7.	श्रीमती गुट्टा जाह्नवी, वरिष्ठ वैज्ञानिक	सदस्य
8.	श्री प्रभु, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	सदस्य
9.	वित्त एवं लेखा अधिकारी	सदस्य
10.	प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य सचिव

प्रबंध परिषद का कार्यकाल 30.07.2024 से 29.07.2026 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए होगा। सीएसआईआर नियम एवं विनियम और उपनियमों के नियम 66 के अनुसार प्रबंध परिषद के कार्य निम्नानुसार हैं:

1. प्रयोगशाला/संस्थान के कार्यों व परिसर इत्यादि की देखरेख और संचालन।
2. अपूरणीय धन संबंधी हानि तथा भण्डार को सीएसआईआर द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर बट्टे खाते में डालना।
3. प्रयोगशाला/संस्थान के अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों/सुविधाओं के लिए संसाधन आवंटन की संस्तुति करना।
4. प्रयोगशाला/संस्थान के अनुसंधान एवं विकास व अन्य क्रियाकलापों की प्रगति का अनुवीक्षण।
5. परियोजनाओं/ क्रियाकलापों के समुचित कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रमुखों को शक्तियां सौंपे जाने की सिफारिश करना।

...2
04/08/24

6. संविदागत अनुसंधान एवं विकास, परामर्शी परियोजनाओं तथा आईपीआर के लाइसेंसीकरण, जो निदेशक की शक्तियों में नहीं है, को अनुमोदन प्रदान करना।
7. राष्ट्रीय प्रयोगशाला के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना।
8. सभी प्रकार के तकनीकी स्टाफ के लिए चयन समितियों तथा मूल्यांकन समितियों का गठन करना।
9. महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा सौंपा गया अन्य कोई कार्य।


04/08/24
(तड़ीपती रामबाबू)
प्रशासनिक अधिकारी

सेवा में,

उपर्युक्त सभी संबंधित अधिकारी।

प्रतिलिपि:

1. संयुक्त सचिव (प्रशासन)
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)
अनुसन्धान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
2. डॉ. के. जे. श्रीराम, निदेशक
सीएसआईआर-सीएलआरआई
सरदार पटेल मार्ग, अड्यार
चेन्नई-600020
3. सीएसआईआर-4पीआई वेबसाइट और इंटरनेट

CSIR-Fourth Paradigm Institute, Bengaluru-560 037

No.:CSIR-4PI/02(166)/2024

Date: 07.08.2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Constitution of Management Council in respect of CSIR- Fourth Paradigm Institute, Bengaluru.


In pursuance of CSIR Letter No. 8(39) CSIR-4PI-PD(Cte.) dated: 30.07.2024 and in terms of Rule 65 of CSIR Rules & Regulations and Bye-Laws, the Competent Authority has been pleased to constitute the Management Council of CSIR-Fourth Paradigm Institute, Bengaluru, consisting of the following:

Sr. No.	Nominated Officer	Designation
1.	Head/Director, CSIR-4PI	Chairperson
2.	Dr. K. J. Sreeram, Director, CSIR-CLRI	Member
3.	Dr. G. K. Patra, Chief Scientist	Member
4.	Dr. I. A. Parvez, Chief Scientist	Member
5.	Dr. Ashish, Principal Scientist	Member
6.	Dr. Lakshmikanthan P., Sr. Scientist	Member
7.	Smt. Gutta Jahnavi, Sr. Scientist	Member
8.	Sh. Prabhu, Sr. Technical Officer	Member
9.	Finance & Accounts Officer	Member
10.	Administrative Officer	Member-Secretary


The Term of the Management Council Shall be for a period of 2 years from 30.07.2024 to 29.07.2026. The functions of the Management Council as per Rule 66 of CSIR Rules & Regulations and Bye-Laws are as under:

1. To administer and manage the affairs and environs of the Institute.
2. To write off irrecoverable monetary losses and stores within the limits prescribed by CSIR.
3. To recommend the resource allocation for R&D activities/facilities of the Institute.
4. To monitor the progress of R&D and other activities of the Institute.
5. To recommend devolution of powers to the Project Leaders for the proper implementation of the projects/activities.

Contd. -2-


07/08/24

6. To approve contract R & D consultancy projects and licensing of IPR beyond the powers of Director.
7. To consider the Annual Report of the Institute.
8. To constitute selection committees and assessment committees for all Technical Staff.
9. Any other matter as may be referred by the Director General.



(Tadiparti Rambabu)

ADMINISTRATIVE OFFICER

To,
All the above.

Copy to:

1. Joint Secretary (Admin.),
Council of Scientific &
Industrial Research (CSIR),
Anusandhan Bhavan,
2, Rafi Marg,
New Delhi-110 001
2. Dr. K. J. Sreeram, Director,
CSIR-Central Leather Research Institute (CLRI),
Sardar Patel Marg, Adyar,
Chennai-600 020
3. CSIR-4PI Website and Intranet